भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,

मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड,

जीवीके एयरपोर्ट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड,

बिड सर्विसेज डिवीज़न (मॉरीशस) लिमिटेड

एवं

एसीएसए ग्लोबल लिमिटेड

के बीच और द्वारा

शेयरधारक

समझौता।

विषय सूची

खंड 1 5

परिभाषा और व्याख्या 5

खंड 2 9

एसएचए प्रभावी तिथि 9

खंड 3
10

पूंजी संरचना 10

खंड 4
15

संयुक्त उद्यम कंपनी का दायरा और उद्देश्य: व्यवसाय योजना 15

खंड 5
16

प्रबंधन और निदेशक मंडल 16

खंड 6 21

शेयरधारकों के अधिकार और दायित्व
21

खंड 7
23

समाप्ति 23

खंड 8 26
गोपनीयता 26

खंड 9 27
विविध 27

अनुसूची 1 34

निजी प्रतिभागी 34

अनुसूची 2 35

इक्विटी शेयरों का उचित बाजार मूल्य प्राप्त करने के व्यापक सिद्धांत 35

अनुसूची 3 36
आरक्षित बोर्ड मामले 36

अनुसूची 4 37
आरक्षित शेयरधारक मामले 37

अनुलग्नक 1 38
अनुपालन का विलेख 38

यहाँ दिए गए कानूनी अनुबंध (शेयरधारक समझौता) के प्रारंभिक भाग और खंड 1 तथा 2 का संपूर्ण और सटीक हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है:

शेयरधारक समझौता

यह शेयरधारक समझौता आज 4 अप्रैल, 2006 को

निम्नलिखित के बीच और द्वारा निष्पादित किया गया:

1. **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण** (जिसे आगे "**भाविप्रा**" कहा गया है) (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि यह विषय या संदर्भ के प्रतिकूल या विपरीत न हो, इसके नामांकित व्यक्ति, कानूनी प्रतिनिधि और उत्तराधिकारी शामिल माने जाएंगे) **प्रथम पक्ष**;
2. अनुसूची 1 में सूचीबद्ध पक्षकार (जिन्हें आगे व्यक्तिगत रूप से "**निजी प्रतिभागी**" और सामूहिक रूप से "**निजी प्रतिभागीगण**" कहा गया है) (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि यह विषय या संदर्भ के प्रतिकूल या विपरीत न हो, उनके संबंधित नामांकित व्यक्ति, कानूनी प्रतिनिधि और उत्तराधिकारी शामिल माने जाएंगे) **द्वितीय पक्ष**;

तथा

3. **मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड**, जिसका पंजीकृत कार्यालय सीएसआई एयरपोर्ट, मुंबई में है (जिसे आगे "**कंपनी**" या "**जेवीसी**" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि यह विषय या संदर्भ के प्रतिकूल या विपरीत न हो, इसके कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल माने जाएंगे) **तृतीय पक्ष**।

निजी प्रतिभागियों और भाविप्रा (किसी भी भाविप्रा नामांकित व्यक्ति के साथ) को आगे सामूहिक रूप से "**शेयरधारक**" और व्यक्तिगत रूप से "**शेयरधारक**" कहा गया है।

सभी शेयरधारकों और जेवीसी को आगे सामूहिक रूप से "**पक्षकार**" और व्यक्तिगत रूप से "**पक्ष**" कहा गया है।

चूंकि:

क. भाविप्रा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत स्थापित एक प्राधिकरण है और अन्य बातों के साथ-साथ भारत में हवाईअड्डों के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

ख. भाविप्रा ने परियोजना (आगे परिभाषित) को शुरू करने के लिए सक्षम और इच्छुक व्यक्तियों के चयन हेतु इच्छुक पक्षों से प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए 17 फरवरी, 2004 को एक विज्ञापन जारी किया था।

ग. निजी प्रतिभागी एक कंसोर्टियम के सदस्य हैं, जिन्होंने बोली लगाई थी, तत्पश्चात उन्हें सूचीबद्ध (shortlist) किया गया और अंततः भाविप्रा द्वारा (भारत सरकार के अनुमोदन से) परियोजना को शुरू करने के लिए संयुक्त उद्यम भागीदारों के रूप में चुना गया था।

घ. भाविप्रा और जेवीसी ने ओएमडीए (नीचे परिभाषित) में प्रवेश किया है, जिसके तहत भाविप्रा ने अन्य बातों के साथ-साथ जेवीसी को उसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार परियोजना को शुरू करने का अधिकार प्रदान किया है, और जेवीसी ने इसे स्वीकार कर लिया है।

ङ. शेयरधारक, इस समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार, जेवीसी के ऐसे इक्विटी शेयरों को सब्सक्राइब करेंगे ताकि उसके तुरंत बाद इक्विटी पूंजी को यहाँ प्रदान किए गए अधिकारों, प्रतिबंधों, शक्तियों और दायित्वों के अधीन, तथा उल्लिखित तरीके और मात्रा में धारण किया जा सके।

च. यहाँ शेयरधारक स्वयं जेवीसी के शेयरधारकों के रूप में अपनी परस्पर क्षमता में संबंधों को विनियमित करने के लिए नियम और शर्तें निर्धारित और दर्ज करना चाहते हैं, तथा जेवीसी के प्रबंधन और कामकाज तथा उससे जुड़े अन्य मामलों के संबंध में अपने संबंधित अधिकारों और दायित्वों को दर्ज करना चाहते हैं।

अब इसलिए, उपर्युक्त प्रस्तावना (recitals), पक्षकारों के पारस्परिक वचनों और अन्य अच्छे व मूल्यवान विचार-विमर्श के एवज में, जिनकी प्राप्ति और पर्याप्तता को एतद्द्वारा स्वीकार किया जाता है, पक्षकार निम्नानुसार सहमत होते हैं:

खंड 1

परिभाषा और व्याख्या

1.1 इस शेयरधारक समझौते में (किसी भी प्रस्तावना, अनुलग्नक, अनुसूची या संलग्न प्रदर्श सहित), जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:

"भाविप्रा नामांकित व्यक्ति": भाविप्रा द्वारा नामांकित किसी भी भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (जीओआई-पीएसयू से होगा।

"भाविप्रा चूक खरीद अवधि": इसका वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 7.2(d) में दिया गया है।

"भाविप्रा प्रस्ताव नोटिस": इसका वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 3.7.2(i) में दिया गया है।

"भाविप्रा प्रस्ताव मूल्य": इसका वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 3.7.2(i) में दिया गया है।

"भाविप्रा खरीद अवधि": इसका वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 3.7.2(ii) में दिया गया है।

"भाविप्रा खरीद शेयर": इसका वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 3.7.2(i) में दिया गया है।

"स्थगित बैठक": इसका वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 5.11.2 में दिया गया है।

"प्रभावित पक्ष": इसका वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 9.3.1 में दिया गया है।

"वैकल्पिक निदेशक": इसका वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 5.7.1 में दिया गया है।

"निदेशक मंडल" या "बोर्ड": जेवीसी का निदेशक मंडल।

"अध्यक्ष": जेवीसी का अध्यक्ष।

"चार्टर दस्तावेज": जेवीसी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कानून द्वारा अनुमत सीमा तक इस समझौते के नियमों और शर्तों को उचित और सुसंगत रूप से शामिल किया गया हो।

"दावेदार": इसका वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 9.4.3.1 में दिया गया है।

"कंपनी अधिनियम": कंपनी अधिनियम, 1956।

"परिणामी नुकसान": इसका वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 9.16.1 में दिया गया है।

"अनुपालन का विलेख": इसका वही अर्थ होगा जो इसके खंड 3.6.1 (b) में सौंपा गया है।

"व्यतिक्रमी पक्ष": इसका वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 7.2(a) में दिया गया है।

"व्यतिक्रमी शेयरधारक": इसका वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 3.5 में दिया गया है।

"निदेशक": जेवीसी के निदेशक मंडल का एक निदेशक।

"इक्विटी शेयर": जेवीसी के इक्विटी शेयर।

"उचित बाजार मूल्य": जेवीसी के इक्विटी शेयरों का मूल्य जो इसकी अनुसूची 2 के अनुसार निर्धारित किया गया हो।

"विदेशी एयरलाइंस": एक विदेशी संस्था जो हवाई परिवहन सेवाएं प्रदान करती है।

"विदेशी संस्था": भारतीय संस्था के अलावा कोई भी अन्य संस्था।

"विदेशी संस्थाएं इक्विटी सीमा": कुल मिलाकर विदेशी शेयरहोल्डिंग जेवीसी की कुल जारी और चुकता पूंजी के उंचास (49) प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

"विदेशी शेयरहोल्डिंग": निम्नलिखित का कुल योग होगा:

(क) सभी विदेशी संस्थाओं की प्रत्यक्ष शेयरहोल्डिंग का कुल योग; तथा

(ख) भारतीय संस्थाओं का जेवीसी में "लाभकारी विदेशी स्वामित्व" (Beneficial Foreign Ownership) का कुल योग। ऐसे लाभकारी विदेशी स्वामित्व से तात्पर्य किसी भारतीय संस्था में विदेशी संस्था की शेयरहोल्डिंग को जेवीसी में उस भारतीय संस्था की शेयरहोल्डिंग से गुणा करने पर प्राप्त प्रतिशत से होगा। जहाँ विदेशी संस्था एक या अधिक संस्थाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संस्था में शेयर रखती है, तो लाभकारी स्वामित्व का अर्थ संस्था में विदेशी संस्था की शेयरहोल्डिंग को जेवीसी में शेयर रखने वाली भारतीय संस्था की शेयरहोल्डिंग से गुणा करना (और इसी तरह आगे भी) होगा।

परंतु शर्त यह है कि, यदि भारतीय संस्था एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी (public listed company) है, तो विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा आयोजित ऐसी भारतीय संस्था के किसी भी शेयर को उपर्युक्त लाभकारी विदेशी स्वामित्व निर्धारित करने के उद्देश्य से शामिल नहीं किया जाएगा।

उदाहरण: यदि एक विदेशी संस्था किसी भारतीय संस्था में 60% शेयर रखती है जो जेवीसी में 30% शेयर रखती है, तो जेवीसी में उस विदेशी संस्था का लाभकारी स्वामित्व: $0.60 \times 0.30 = 0.18 \times 100 = 18\%$ होगा। यदि एक विदेशी संस्था B (एक भारतीय संस्था) में 60% शेयर रखती है जो दूसरी भारतीय संस्था में 80% शेयर रखती है जो जेवीसी में 30% शेयर रखती है, तो जेवीसी में उस विदेशी संस्था का लाभकारी स्वामित्व: $0.60 \times 0.80 \times 0.30 = 0.144 \times 100 = 14.4\%$ होगा।

"भारत सरकार": भारत की केंद्र सरकार और उसका कोई भी मंत्रालय, विभाग या तंत्र।

"भारत सरकार पीएसयू": कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें चुकता शेयर पूंजी का कम से कम एकियावन (51) प्रतिशत भारत सरकार द्वारा धारित हो, और इसमें ऐसी परिभाषित कंपनी की सहायक कंपनी शामिल है।

"समूह संस्थाएं": किसी निर्दिष्ट संस्था के संदर्भ में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी निर्दिष्ट संस्था को नियंत्रित करने वाली, उसके द्वारा नियंत्रित होने वाली या समान नियंत्रण के तहत आने वाली कोई अन्य संस्था शामिल है। इस परिभाषा के उद्देश्यों के लिए "नियंत्रित करने", "के द्वारा नियंत्रित" या "समान नियंत्रण के तहत" का अर्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रबंधकीय नीतियों को निर्देशित करने की शक्ति से है।

"प्रारंभिक सब्सक्रिप्शन": इसका वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 3.2 में दिया गया है।

"आईटीआरईओआई": भाविप्रा द्वारा 17 फरवरी, 2004 को जारी किया गया 'इन्टरेस्ट रजिस्ट्रेशन आमंत्रण' (Invitation to Register an Expression of Interest) दस्तावेज।

"प्रबंध निदेशक": जेवीसी का पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक।

"गैर-व्यतिक्रमी पक्ष": इसका वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 7.2(a) में दिया गया है।

"ओएमडीए": भाविप्रा और जेवीसी के बीच निष्पादित 'संचालन, प्रबंधन और विकास समझौता' (Operation, Management and Development Agreement)।

"विकल्प": इसका वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 3.3.3.1 में दिया गया है।

"मूल निदेशक": इसका वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 5.7.1 में दिया गया है।

"पीपी चूक खरीद अवधि": इसका वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 7.2(c) में दिया गया है।

"पीपी प्रस्ताव नोटिस": इसका वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 3.7.1(i) में दिया गया है।

"पीपी प्रस्ताव मूल्य": इसका वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 3.7.1(i) में दिया गया है।

"पीपी खरीद शेयर": इसका वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 3.7.1(i) में दिया गया है।

"निजी प्रतिभागीगण": इसका वही अर्थ होगा जो इस समझौते की प्रस्तावना में दिया गया है।

"निजी प्रतिभागी समझौता": इसका वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 4.2.4 में दिया गया है।

"परियोजना": इसका वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 4.1.1 में दिया गया है।

"स्वामित्व जानकारी": इसका वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 8.1 में दिया गया है।

"शेष पीपी खरीद अवधि": इसका वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 3.7.1(iii) में दिया गया है।

"शेष निजी प्रतिभागी": इसका वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 3.7.1(i) में दिया गया है।

"आरक्षित बोर्ड मामले": इसके साथ संलग्न अनुसूची 3 के तहत सूचीबद्ध मामले।

"आरक्षित शेयरधारक मामले": इसके साथ संलग्न अनुसूची 4 के तहत सूचीबद्ध मामले।

"उत्तरदाता": इसका वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 9.4.3.1 में दिया गया है।

"आरएफपी": भाविप्रा द्वारा 1 अप्रैल, 2005 को जारी किया गया 'प्रस्ताव का अनुरोध' (Request for Proposal) दस्तावेज।

"रुपया" या "रु.": भारतीय रुपया (आईएनआर)।

"अनुसूचित एयरलाइंस": वे एयरलाइंस जो विमान नियम, 1937 के तहत परिभाषित "अनुसूचित वायु परिवहन सेवा" संचालित करती हैं।

"अनुसूचित एयरलाइंस इक्विटी सीमा": अनुसूचित एयरलाइंस और उनकी संबंधित समूह संस्थाओं द्वारा जेवीसी की कुल जारी और चुकता शेयर पूंजी में अधिकतम दस (10) प्रतिशत की कुल इक्विटी हिस्सेदारी।

"विक्रेता पीपी": इसका वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 3.7.1 में दिया गया है।

"द्वितीय पीपी प्रस्ताव नोटिस": इसका वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 3.7.1(iv) में दिया गया है।

"द्वितीय पीपी खरीद अवधि": इसका वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 3.7.1(vi) में दिया गया है।

"शेयरधारक" या "शेयरधारकगण": इसका वही अर्थ होगा जो इस समझौते की प्रस्तावना में दिया गया है।

"शेयरधारक समझौता" या "समझौता": यह शेयरधारक समझौता।

"एसएचए प्रभावी तिथि": वह तिथि जिस दिन खंड 2.1 में निर्धारित पूर्व-शर्तें पूरी होती हैं।

"एसपीवी पीपी": इसका वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 3.6.1 में दिया गया है।

"तृतीय पक्ष": कोई भी संस्था जो इस समझौते का पक्षकार नहीं है।

"स्थानांतरण": इसमें शामिल हैं: (i) लागू कानून के तहत, अदालत के आदेश से या न्यायिक प्रक्रिया द्वारा प्रतिभूतियों का कोई भी हस्तांतरण; (ii) किसी समझौते या

व्यवस्था के तहत कानूनी स्वामित्व या लाभकारी स्वामित्व का एक संस्था से दूसरी संस्था को हस्तांतरण; (iii) ऐसी प्रतिभूतियों में कोई प्रभार या भार (Encumbrance) उत्पन्न करना।

"ट्रिगर ऋण-इक्विटी अनुपात": कम से कम दो (2) से एक (1) का ऋण-से-इक्विटी अनुपात।

यहाँ उपयोग किए गए अन्य बड़े अक्षरों वाले शब्द (जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं) लेकिन ओएमडीए के तहत परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो ओएमडीए के तहत दिया गया है।

1.2 इस समझौते में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ओएमडीए के खंड 1.2 में उल्लिखित व्याख्या नियम लागू होंगे।

खंड 2:

प्रभावी तिथि

2.1 यह समझौता निम्नलिखित में से जो भी बाद में हो, उस तिथि से लागू होगा और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा:

1. इस समझौते के निष्पादन की तिथि; या
2. संबंधित पक्षकारों द्वारा ओएमडीए के निष्पादन की तिथि (**"SHA प्रभावी तिथि"**)।

खंड 3:

पूंजी संरचना

3.1 जेवीसी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹250,00,00,000 (दो सौ पचास करोड़ रुपये मात्र) होगी।

3.2 शेयरधारक इसके द्वारा SHA प्रभावी तिथि से 14 दिनों के भीतर जेवीसी के ऐसे इक्विटी शेयरों को सब्सक्राइब (सदस्यता लेने) करने पर सहमत होते हैं, जो शेयरधारकों के लिए कानूनी और लाभकारी रूप से ₹200,00,00,000 (दो सौ करोड़ रुपये) की जारी शेयर पूंजी (**"प्रारंभिक सब्सक्रिप्शन"**) को नीचे बताए गए अनुसार धारण करने के लिए आवश्यक हैं:

शेयरधारक	**शेयरों की संख्या**	**प्रतिशत हिस्सेदारी**

शेयरधारक	शेयरों की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी
भाविप्रा (भाविप्रा नामांकित व्यक्तियों के साथ)	**5,20,00,000**	**26%**
निजी प्रतिभागीगण:		
(1) जीवीके एयरपोर्ट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	7,40,00,000	37%
(2) बिड सर्विसेज डिवीज़न (मॉरीशस) लिमिटेड	5,40,00,000	27%
(3) एसीएसए ग्लोबल लिमिटेड	2,00,00,000	10%
उप-योग (निजी प्रतिभागी)	**14,80,00,000**	**74%**
कुल योग	**20,00,00,000**	**100%**

पक्षकार एतद्द्वारा यह वचन देते हैं और सहमत होते हैं कि जेवीसी प्रारंभिक सब्सक्रिप्शन के तुरंत बाद, लेकिन इक्कीस (21) दिनों के भीतर, भाविप्रा को जेवीसी के निगमन (incorporation) के संबंध में भाविप्रा द्वारा किए गए निगमन खर्चों (जिसमें कानूनी लागत या पंजीकरण शुल्क शामिल हैं) की प्रतिपूर्ति करेगी, जहाँ तक उनकी प्रतिपूर्ति जेवीसी द्वारा पहले न की गई हो।

3.3 कैश कॉल और भावी पूंजीकरण (Cash Calls and Future Capitalisation)

3.3.1 उपर्युक्त खंड 3.2 में निर्धारित प्रारंभिक सब्सक्रिप्शन के अधीन, जेवीसी अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर अपनी

अधिकृत और/या चुकता पूंजी बढ़ा सकती है। *परंतु शर्त यह है कि*, जेवीसी इक्विटी शेयरों का कोई भी नया निर्गम (fresh issue) जारी करने से पहले यह सुनिश्चित करेगी कि **ट्रिगर ऋण-इक्विटी अनुपात** (Trigger Debt Equity Ratio - कम से कम 2:1) बना रहे। यदि ट्रिगर ऋण-इक्विटी अनुपात बना नहीं रहता है, तो जेवीसी तब तक कोई नया इक्विटी शेयर जारी नहीं करेगी जब तक कि यह अनुपात बहाल न हो जाए। निजी प्रतिभागी (भाविप्रा या उसके नामांकित व्यक्तियों की शेयरधारिता को कम किए बिना) नए शेयर जारी करने से ठीक पहले ट्रिगर ऋण-इक्विटी अनुपात को बनाए रखने के लिए आवश्यक रूप और मात्रा में धन लगाने का वचन देते हैं।

3.3.2 खंड 3.3.1 की आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन, निजी प्रतिभागी जेवीसी द्वारा मांगे जाने पर जेवीसी में अपनी-अपनी शेयरधारिता के अनुपात में या आपस में सहमत अनुपातों में अतिरिक्त इक्विटी शेयरों को सब्सक्राइब करने का वचन देते हैं, बशर्ते यह **विदेशी संस्था इक्विटी सीमा** और **अनुसूचित एयरलाइंस इक्विटी सीमा** का उल्लंघन न करे।

3.3.3 भाविप्रा का विकल्प (AAI's Option)

3.3.3.1 प्रारंभिक सब्सक्रिप्शन के बाद, भाविप्रा (भाविप्रा नामांकित व्यक्तियों के साथ) को जेवीसी के किसी भी भावी पूंजीकरण में अपनी तत्कालीन शेयरधारिता के अनुपात में इक्विटी शेयरों को सब्सक्राइब करने का अधिकार होगा, लेकिन यह उसकी बाध्यता (obligation) नहीं होगी ("**विकल्प**")।

3.3.3.2 यदि भाविप्रा निर्धारित समय के भीतर इस विकल्प का उपयोग करने के अपने निर्णय की सूचना जेवीसी को नहीं देती है, तो यह माना जाएगा कि भाविप्रा ने अपने विकल्प का उपयोग नहीं किया है।

3.3.3.3 जहाँ भाविप्रा अपने विकल्प का उपयोग नहीं करती है या उपयोग न करने वाली मानी जाती है, वहाँ निजी प्रतिभागियों का यह दायित्व होगा कि वे उपर्युक्त इक्विटी शेयरों को अपनी अंतर-से (inter-se) शेयरधारिता के अनुपात में या आपस में सहमत किसी अन्य अनुपात में प्राप्त करें।

3.3.3.4 यदि भाविप्रा अपने विकल्प का उपयोग करने का विकल्प चुनती है, लेकिन किसी भी कारण से निर्धारित समय सीमा में अपना हिस्सा सब्सक्राइब करने में विफल रहती है, तो यह माना जाएगा कि उसने अपने विकल्प का उपयोग नहीं किया है।

3.4 जेवीसी के इक्विटी शेयरों में लाभांश और मतदान अधिकार (voting rights) के संबंध में समान अधिकार और विशेषाधिकार होंगे।

3.5 **व्यतिक्रम**: यदि भाविप्रा के अलावा कोई अन्य शेयरधारक निर्धारित तिथि तक जेवीसी को पूंजीकृत करने के अपने दायित्व को पूरा करने में असमर्थ रहता है ("**व्यतिक्रमी शेयरधारक**"), तो वह व्यतिक्रम की पूरी वसूली होने तक भारतीय स्टेट

बैंक की तत्कालीन प्राइम लैंडिंग दर (एसबीआई पीएलआर) से अतिरिक्त 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि 30 दिनों के भीतर व्यतिक्रम में सुधार नहीं किया जाता है, तो बोर्ड में अधिकारों सहित उस शेयरधारक के सभी अधिकार निलंबित रहेंगे।

3.6 हस्तांतरण प्रतिबंध

3.6.1 कोई भी शेयरधारक लागू कानून और ओएमडीए के प्रावधानों के अनुपालन में किसी तीसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने इक्विटी शेयर हस्तांतरित (Transfer) कर सकता है, बशर्ते:

(क) शेयरधारक समझौते का उल्लंघन न कर रहा हो;

(ख) खरीदार तीसरा पक्ष इस समझौते के नियमों से बाध्य होने के लिए सहमत हो और **अनुपालन के विलेख** (Deed of Adherence - अनुलग्नक 1) पर हस्ताक्षर करे;

(ग) यदि शेयरधारक निजी प्रतिभागी है, तो ओएमडीए के तहत आवश्यक भाविप्रा की सहमति प्राप्त की गई हो;

(घ) ऐसे हस्तांतरण से विदेशी संस्था इक्विटी सीमा और/या अनुसूचित एयरलाइंस इक्विटी सीमा का उल्लंघन न होता हो;

(ङ) राजनीतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार खरीदार और उसके ढांचे को मंजूरी दे।

यदि कोई निजी प्रतिभागी एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) है जो केवल जेवीसी में शेयर रखने के लिए बनाया गया है (**एसपीवी पीपी**), तो उस एसपीवी पीपी के शेयरों का कोई भी हस्तांतरण जेवीसी के इक्विटी शेयरों का अप्रत्यक्ष हस्तांतरण माना जाएगा।

3.7 इनकार का अधिकार

3.7.1 खंड 3.6 में निर्धारित आवश्यकताओं के अलावा और हमेशा के अधीन ओएमडीए के खंड 2.5 के तहत निर्धारित लॉक-इन प्रावधान, यदि किसी भी समय, एक निजी प्रतिभागी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अपने सभी को स्थानांतरित करना चाहता है इक्विटी शेयर या उसमें स्वामित्व वाले मतदान हित ("विक्रेता पीपी"), फिर, यह होगा:

(i) इसके तहत) अन्य निजी प्रतिभागियों (**शेष निजी प्रतिभागी**") में उल्लेखित एक नोटिस द्वारा:-(क) की कुल संख्या बिक्री के लिए प्रस्तावित इक्विटी शेयर (**पीपी खरीद**) शेयर"), (ख) वह मूल्य जिस पर पीपी खरीद शेयरों की पेशकश की जा रही है बिक्री के लिए (पीपी ऑफर मूल्य"; और (ग) में कोई अन्य नियम और शर्तें इसके साथ संबंध (**पीपी ऑफर नोटिस**)। पीपी ऑफर की एक प्रति एएआई को भी नोटिस भेजा जाएगा;

(ii) पीपी प्रस्ताव नोटिस प्राप्त करने के अधीन, और इसकी शर्तों के अनुसार और शर्तें, शेष निजी प्रतिभागियों के पास विकल्प होगा उनके बीच सभी के बीच खरीद, लेकिन सभी से कम नहीं, पीपी खरीद शेयरों की उनके, आपस में, संबंधित शेयरधारिता के अनुसार आनुपातिक रूप से जेवीसी में या ऐसे तरीके से जैसा कि उनके बीच आपसी सहमति हो बशर्ते कि शेष द्वारा पीपी खरीद शेयरों की ऐसी खरीद निजी प्रतिभागियों के परिणामस्वरूप विदेशी संस्थाओं की इक्विटी कैप नहीं होगी और/या अनुसूचित एयरलाइंस इक्विटी कैप से अधिक हो गया है।

(iii) सभी पीपी खरीद शेयरों का हस्तांतरण, लेकिन सभी से कम नहीं शेष निजी प्रतिभागियों को पीपी प्रस्ताव नोटिस ("शेष पीपी खरीद अवधि") की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर जेवीसी के पंजीकृत कार्यालय में उसी समय और तारीख पर होना चाहिए

(iv) यदि शेष निजी प्रतिभागी सभी पीपी खरीद नहीं करते हैं शेष पीपी खरीद अवधि के भीतर विक्रेता पीपी से शेयर विक्रेता पीपी, शेष पीपी खरीद अवधि की समाप्ति के तीन (3) दिनों के भीतर, पीपी की बिक्री के लिए एएआई को नोटिस द्वारा प्रस्ताव देगा पीपी ऑफर मूल्य पर और उसी शर्तों और शर्तों पर शेयर खरीदें जो पीपी ऑफर नोटिस में निहित हैं ("दूसरा पीपी ऑफर नोटिस");

(v) दूसरा पीपी प्रस्ताव नोटिस प्राप्त करने के अधीन और इसके अनुसार शर्तें, एएआई (एएआई नामांकित व्यक्तियों के साथ), एएआई के विकल्प पर, होगा सभी पीपी खरीद शेयरों की सभी, लेकिन सभी से कम नहीं, खरीदने का अधिकार।

(vi) पीपी खरीद शेयरों का सभी को हस्तांतरण, लेकिन सभी से कम नहीं, एएआई को और/या एएआई के किसी भी नामांकित व्यक्ति का स्थान उसी समय और तारीख पर होगा से तीस (30) दिनों के भीतर जेवीसी के पंजीकृत कार्यालय में दूसरा पीपी ऑफर नोटिस ("दूसरा पीपी खरीद अवधि");

(vii) यदि एएआई (एएआई के किसी भी नामांकित व्यक्ति के साथ) सभी पीपी नहीं खरीदता है द्वितीय पीपी खरीद अवधि के भीतर विक्रेता पीपी से शेयर खरीदें, तब विक्रेता पीपी नब्बे (90) की अवधि के भीतर बेचने के लिए स्वतंत्र होगा द्वितीय पीपी खरीद अवधि की समाप्ति के दिन सभी, लेकिन इससे कम नहीं सभी, पीपी ऑफर मूल्य से कम कीमत पर पीपी खरीद शेयर और उन शर्तों और शर्तों पर जो की पेशकश से अधिक अनुकूल नहीं हैं किसी भी इकाई को दूसरे पीपी प्रस्ताव नोटिस में एएआई।

3.7.2 यदि किसी भी समय, एएआई और/या एएआई नामांकित व्यक्ति इक्विटी का कोई भी या सभी हस्तांतरण करना चाहते हैं उसके स्वामित्व वाले शेयर या मतदान हित, किसी भी इकाई (उनके बीच या उनके समूह संस्थाओं के बीच किसी भी अंतर-से हस्तांतरण के अलावा), वे:

(i) निजी प्रतिभागियों को एएआई खरीद शेयरों (जैसा कि इसके तहत परिभाषित किया गया है) की बिक्री के लिए एक प्रस्ताव एक नोटिस द्वारा बनाया जाता है जिसमें उल्लेख किया गया है: (क) बिक्री के लिए प्रस्तावित इक्विटी शेयरों की संख्या ("एएआई खरीद शेयर"), (ख) वह मूल्य जिस पर एएआई खरीद शेयरों को बिक्री के लिए पेश किया जा रहा है ("एएआई प्रस्ताव मूल्य"; और (ग) इसके संबंध में कोई अन्य शर्तें और शर्तें ("एएआई प्रस्ताव नोटिस")। एएआई प्रस्ताव नोटिस की एक प्रति प्रत्येक निजी प्रतिभागी को भेजी जाएगी, जिसके पास उन सभी के बीच, लेकिन सभी से कम नहीं, एएआई खरीद शेयरों को खरीदने का विकल्प होगा, उनके अनुसार आनुपातिक रूप से, जेवीसी में संबंधित शेयरधारिता या ऐसे तरीके से जैसा कि उनके बीच आपसी सहमति से तय किया गया है, बशर्ते कि निजी प्रतिभागियों द्वारा एएआई खरीद शेयरों की ऐसी खरीद के परिणामस्वरूप विदेशी संस्थाओं की इक्विटी सीमा और/या अनुसूचित एयरलाइंस इक्विटी सीमा से अधिक न हो;

(ii) एएआई खरीद नोटिस के अनुसार निजी प्रतिभागियों को एएआई खरीद शेयरों का सभी लेकिन सभी से कम नहीं हस्तांतरण एएआई प्रस्ताव नोटिस की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर जेवीसी के पंजीकृत कार्यालय में उसी समय और तारीख पर होगा ("एएआई खरीद अवधि");

(iii) यदि निजी प्रतिभागी एएआई खरीद अवधि के भीतर एएआई और/या एएआई नामांकित व्यक्तियों से सभी एएआई खरीद शेयरों की खरीद नहीं करते हैं, तो एएआई और/या एएआई नामांकित व्यक्ति एएआई खरीद अवधि की समाप्ति के नब्बे (90) दिनों की अवधि के भीतर, एएआई प्रस्ताव मूल्य से कम नहीं और उन शर्तों और शर्तों पर जो एएआई प्रस्ताव नोटिस में निजी प्रतिभागियों को पेश की गई हैं, एएआई खरीद शेयरों को किसी भी इकाई को बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे।

3.8 इस समझौते में किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, कोई भी विदेशी एयरलाइंस और/या उनकी समूह संस्थाएं जेवीसी के किसी भी इक्विटी शेयर को धारण नहीं करेंगी और न ही उन्हें धारण करने की अनुमति दी जाएगी।

खंड 4

जेवीसी का दायरा और उद्देश्य: व्यवसाय योजना

4.1 जेवीसी का उद्देश्य और इस समझौते का दायरा

4.1.1 जेवीसी का उद्देश्य ओएमडीए के तहत प्रदान किए गए अनुसार हवाई अड्डे का डिज़ाइन, विकास, निर्माण, वित्तपोषण, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव करना होगा ("**परियोजना**")।

4.2 शेयरधारक प्रतिबद्धताएं

4.2.1 प्रत्येक शेयरधारक जेवीसी और परियोजना की सफलता को बढ़ावा देने के लिए एक-दूसरे के साथ और जेवीसी के साथ सहयोग करने पर सहमत होता है। *परंतु शर्त यह है कि*, भाविप्रा (या भाविप्रा नामांकित व्यक्ति) केवल इस समझौते में निर्धारित तरीके से इक्विटी पूंजी का योगदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

4.2.2 प्रत्येक शेयरधारक यहां अन्य शेयरधारकों और जेवीसी के लाभ के प्रति वचन देता है;

(क) इस समझौते के सभी प्रावधानों का पालन करने और उनका पालन करने के लिए चार्टर दस्तावेज और पार्टियों के बीच अन्य सभी समझौते;

(ख) जानबूझकर छोड़ा गया

(ग) आरक्षित बोर्ड मामलों और के संबंध में एएआई के अधिकारों के अधीन आरक्षित शेयरधारक मामले, और पूर्वोक्त के प्रतिकूल, को यह सुनिश्चित करना कि (i) प्रत्येक व्यक्ति जो इस समय शेयरधारक के रूप में अपनी क्षमता में इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, और (ii) इस समझौते के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति जेवीसी के शेयरधारकों या बोर्ड की किसी भी बैठक में, जैसा भी मामला हो, वोट देने की शक्ति का प्रयोग करेगा या वोट देने की शक्ति का प्रयोग करवाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जेवीसी के मामलों को ओएमडीए के अनुसार संचालित किया जाए और अन्यथा इस समझौते को पूरी तरह से प्रभावी बनाया जाए, और इसी तरह यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया जाए जो ओएमडीए और/या इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप न हो; हालाँकि, इस समझौते के किसी भी प्रावधान में स्पष्ट रूप से निर्देशित या अन्यथा विचार किए जाने के अलावा प्रत्येक शेयरधारक के पास इक्विटी शेयरों पर मतदान करने के बारे में पूर्ण विवेक होगा जो ऐसे शेयरधारक के स्वामित्व में हैं या जेवीसी के संचालन में ऐसे शेयरधारक द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए, केवल लागू कानून के अधीन; और

(घ) इस खंड 4.2.2 के खंड 4.2.1 और पैराग्राफ (ख) और (ग) के प्रावधानों का पालन करने के लिए, इसकी किसी भी समूह संस्था का कारण बनने के लिए।

4.2.3 यदि कोई शेयरधारक द्वारा खंड 5 के अनुसार नामित कोई निदेशक, किसी कारण से इस प्रावधान के अनुसार अपने विवेक का प्रयोग करने से इनकार करता है समझौता, ऐसे शेयरधारक तत्काल अपनी शक्ति के भीतर सभी कार्रवाई करेगा या ऐसे निदेशक को प्रतिस्थापित करने के लिए नियंत्रण।

4.2.4 पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि चार्टर दस्तावेज, लागू कानून के तहत अनुमत सीमा तक, इस समझौते के प्रावधानों को शामिल करेंगे और, जहां तक चार्टर दस्तावेज समझौते के साथ असंगत हैं, शेयरधारक यह सुनिश्चित करने के लिए जेवीसी के शेयरधारकों के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे कि चार्टर दस्तावेजों को लागू कानून के तहत यथासंभव संशोधित किया जाए ताकि ऐसी किसी

भी असंगति को दूर किया जा सके। इसके अलावा, पार्टियां इस बात पर भी सहमत हैं कि निजी प्रतिभागी जेवीसी के शेयरधारकों के रूप में अपने आपसी संबंधों को विनियमित करने के लिए आपस में कोई समझौता कर सकते हैं ("**निजी प्रतिभागी समझौता**"), जिसके प्रावधान, इस समझौते के प्रावधानों के विपरीत या असंगत होने की सीमा तक, किसी भी तरह से एएआई के हित के लिए हानिकारक नहीं होंगे और लागू कानून के तहत अनुमेय होंगे, चार्टर दस्तावेजों में शामिल किए जाएंगे। अत्यधिक सावधानी के लिए, यह स्पष्ट रूप से पार्टियों के बीच सहमति है कि विवाद या असंगति की स्थिति में निजी प्रतिभागियों के समझौते और इस समझौते के बीच, इस समझौते के प्रावधानों को प्राथमिकता दी जाएगी। दोनों पक्ष स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि यह साबित करने का दायित्व कि क्या निजी प्रतिभागियों का समझौता (या उसका कोई प्रावधान) इस समझौते के प्रावधानों के विपरीत या असंगत नहीं है, किसी भी तरह से, एएआई के हित के लिए हानिकारक है या लागू कानून के तहत अनुमेय है, निजी प्रतिभागियों का होगा और एएआई का निर्णय अंतिम होगा।

4.2.5 इस करार में किसी बात के होते हुए भी, पक्षकार एएआई के प्रत्येक नामांकित व्यक्ति या शेयरधारक के रूप में एएआई के नामांकित व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, शेयरधारकों की किसी भी बैठक में, जैसा भी मामला हो, मतदान करने की शक्ति का प्रयोग या मतदान करने की शक्ति का प्रयोग करने का कारण बनने का स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं जिस तरह एएआई वोट देने की अपनी शक्ति का प्रयोग करता है या वोट देने की शक्ति का कारण बनता है अभ्यास किया गया (यदि एएआई ऐसा परहेज करता है तो मतदान से परहेज करना सहित) या ऐसे अन्य में जिस तरह से अन्यथा एएआई द्वारा लिखित में अधिसूचित किया जा सकता है।

खंड 5

प्रबंधन और निदेशक मंडल

5.1 जेवीसी का प्रबंधन और शासन समग्र अधीक्षण के तहत किया जाएगा बोर्ड का निर्देशन और नियंत्रण। जेवीसी और परियोजना के विकास और प्रबंधन के संबंध में बोर्ड के पास समग्र अधिकार होगा। अधिकारी जेवीसी के निदेशक मंडल के पास चार्टर दस्तावेजों और इस समझौते के अनुरूप निदेशक मंडल द्वारा निर्दिष्ट अधिकार और जिम्मेदारियां होंगी।

5.2 बोर्ड की संरचना

5.2.1 बोर्ड की संरचना निम्नानुसार होगी

(i) भाविप्रा को जेवीसी में अपनी शेयरधारिता के अनुपात में निदेशकों को नामांकित करने का अधिकार होगा, जो **कम से कम एक (1) निदेशक** होगा।

(ii) पर्याप्त स्पष्टता के लिए भाविप्रा का कम से कम एक (1) निदेशक नामांकित करने का अधिकार तब भी बना रहेगा, भले ही भाविप्रा जेवीसी में शेयरधारक न रहे।

(iii) निजी प्रतिभागियों को शेष निदेशकों को नामांकित करने का अधिकार होगा।

5.2.2 शेयरधारक एतद्द्वारा स्वीकार करते हैं और अपने संबंधित को वोट देने के लिए सहमत होते हैं जेवीसी में इस तरह से शेयरधारिता ताकि की नियुक्ति सुनिश्चित हो सके एएआई और निजी प्रतिभागियों के नामांकित व्यक्ति, समय-समय पर निदेशक के रूप में

5.3 अध्यक्ष

5.3.1 पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि जब तक प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स के पास जेवीसी की कुल पेड-अप और आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर कैपिटल का 50% से ज़्यादा हिस्सा रहेगा, तब तक उन्हें जेवीसी के चेयरमैन को नॉमिनेट करने का अधिकार होगा, जिन्हें बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

5.3.2 पार्टियां यह भी मानती हैं और सहमत हैं कि अगर किसी भी समय, प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स की कुल शेयरहोल्डिंग JVC की कुल पेड-अप और आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर कैपिटल के 50% के बराबर या उससे कम हो जाती है, तो AAI को JVC के चेयरमैन को नॉमिनेट करने का अधिकार होगा, जिन्हें बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

5.3.3 चेयरमैन JVC के बोर्ड या शेयरहोल्डर्स की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

5.3.4 अगर अध्यक्ष बोर्ड की बैठक या शेयरधारक की बैठक में मौजूद नहीं हैं, तो मौजूद निदेशक, निजी प्रतिभागी के अन्य नामिती निदेशक में से किसी को या, अगर निजी प्रतिभागियों का कोई नामिति निदेशक मौजूद नहीं है, तो बैठक में मौजूद किसी भी निदेशक को बोर्ड की बैठक के लिए कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर सकते हैं।

5.3.5 किसी भी गतिरोध (डेडलॉक) की स्थिति में, चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट (निर्णायक वोट) नहीं होगा।

5.4 प्रबंध निदेशक

5.4.1 प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स JVC के मैनेजिंग डायरेक्टर को भी नॉमिनेट करेंगे, जिन्हें बोर्ड के प्रस्ताव के बाद बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर रोटेशन के आधार पर रिटायर नहीं होंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर हर नियुक्ति का कार्यकाल उतना ही होगा जितना बोर्ड समय-समय पर तय करेगा और यह नियुक्त व्यक्ति के साथ विस्तृत रोज़गार समझौते (अगर बोर्ड ज़रूरी समझे) के अधीन होगा।

5.4.2 प्रबंध निदेशक का दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा और परियोजना को लागू करने के लिए। प्रबंध निदेशक अपना प्रयोग करेंगे बोर्ड के समग्र अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन शक्तियां।

5.5. योग्यता

5.5.1 निदेशकों को जेवीसी में कोई योग्यता भाग नहीं होना चाहिए।

5.6 इस्तीफा और हटाना

5.6.1 प्रबंध निदेशक को छोड़कर सभी निदेशक, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे बशर्ते कि एएआई या निजी प्रतिभागी (जैसा भी मामला हो) हकदार होंगे किसी रिक्ति को भरने के लिए उसी या किसी अन्य व्यक्ति को निदेशक के रूप में नामित करने के लिए इस तरह की सेवानिवृत्ति/रोटेशन द्वारा। सिवाय जहां एक निदेशक को लागू द्वारा आवश्यक है कार्यालय खाली करने के लिए कानून या चार्टर दस्तावेज, किसी भी निदेशक को नहीं हटाया जाएगा जिस अवधि के लिए वह शेयरधारक की सहमति के बिना निर्वाचित हुए थे जिसने बोर्ड में उसकी नियुक्ति की सिफारिश की। पूर्वोक्त के बावजूद, एक शेयरधारक ऐसे शेयरधारक द्वारा नामित निदेशकों में से किसी को भी हटाने, प्रतिस्थापित करने या वापस बुलाने के लिए किसी भी कारण से पूछ सकता है और ऐसा निदेशक हटाने, प्रतिस्थापित करने या वापस बुलाने के निर्देश से बाध्य होगा। प्रत्येक शेयरधारक ऐसे निष्कासन को प्रभावी बनाने के लिए जेवीसी के शेयरधारकों की बैठक बुलाने और यदि आवश्यक हो तो उसके पक्ष में मतदान करने के लिए अन्य शेयरधारकों के साथ सहयोग करने के लिए सहमत है।

5.7 वैकल्पिक निदेशक

5.7.1 प्रबंध निदेशक के अलावा एक निदेशक, ("मूल निदेशक") होगा किसी भी समय और समय-समय पर, कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए मूल निदेशक का वैकल्पिक ("वैकल्पिक निदेशक") (और शेयरधारक सुनिश्चित करें कि बोर्ड ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो उसका विकल्प है) और निर्देशित करने के लिए ऐसे वैकल्पिक निदेशक (और शेयरधारकों) की नियुक्ति की समाप्ति सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड ऐसी वैकल्पिक नियुक्ति को समाप्त कर दे निर्देशक)।

5.7.2. ऐसा वैकल्पिक निदेशक, इस रूप में पद धारण करते समय, प्राप्त करने का हकदार होगा बोर्ड की बैठकों या उसकी किसी समिति की सूचनाएं, जिसके मूल निदेशकयुक्त किया गया है, और ऐसे किसी भी में निदेशक के रूप में भाग लेने और मतदान करने के लिए बैठकें जिनमें मूल निदेशक उपस्थित नहीं होता है और आम तौर पर सभी शक्तियों, अधिकारों का प्रयोग करता है (एक वैकल्पिक निदेशक नियुक्त करने के अधिकार के अलावा इस खंड 5.7.1 में प्रदान किया गया है), कर्तव्यों और अधिकार और मूल निदेशक के सभी कार्यों का निष्पादन करना। इसके अलावा, ऐसे वैकल्पिक निदेशक को कोरम गठित करने, वोट का

प्रयोग करने और लिखित संकल्प पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा बोर्ड की किसी भी बैठक या किसी समिति में मूल निदेशक की ओर से वहाँ और लागू कानून द्वारा अनुमत सीमा तक उसके हस्ताक्षर, वोट, उपस्थिति और सहमति उसकी अपनी मानी जाएगी (मानो वह एक निदेशक है) अपने अधिकार में) और मूल निदेशक जिसके लिए वह एक वैकल्पिक निदेशक है।

5.8. रिक्ति

5.8.1 यदि किसी भी कारण से ऐसे किसी कार्यालय में रिक्ति होती है, या कोई निदेशक है जिस स्थान से . की बैठकें होती हैं वहां से एक (1) महीने की निरंतर अवधि के लिए अनुपस्थित बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं और उनके द्वारा किसी वैकल्पिक निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है स्थान, तब निदेशक को नामित करने वाला शेयरधारक हकदार होगा एक प्रतिस्थापन निदेशक नामित करें, और शेयरधारक अपने शेयरों को वोट देने के लिए सहमत हैं ऐसे प्रतिस्थापन निदेशक के चुनाव के लिए सर्वसम्मति से।

5.9 बोर्ड बैठक का संचालन

5.9.1 बोर्ड की बैठकें प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार भारत में ऐसे स्थानों पर आयोजित की जाएंगी बोर्ड निर्धारित कर सकता है और जेवीसी के ऐसे किसी भी निर्धारण में विफल हो सकता है मुंबई में स्थित पंजीकृत कार्यालय। यदि और जब लागू कानून के तहत अनुमति दी जाती है, एक निदेशक बोर्ड की बैठक या समिति/उप-समिति में भाग ले सकता है टेलीफोन, ऑडियो और/या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या के माध्यम से बोर्ड की बैठक अन्य संचार सुविधाएं, और ऐसी बैठक में भाग लेने वाला एक निदेशक इस समझौते के प्रयोजनों के लिए वह बैठक में ऐसे साधन मौजूद माने जाएंगे।

5.10 नोटिस और एजेंडा

5.10.1 जब तक नोटिस की आवश्यकता सभी निदेशकों द्वारा माफ नहीं कर दी जाती है, तब तक न्यूनतम बोर्ड की बैठकों की चौदह (14) दिनों की लिखित सूचना (या ऐसी छोटी अवधि जो सभी निदेशक सहमत हों) सभी निदेशकों और उनके वैकल्पिक निदेशकों को दी जाएगी। बोर्ड की बैठक की प्रत्येक सूचना में, अन्य बातों के अलावा, उचित विस्तार से निर्दिष्ट एजेंडा शामिल होगा, जिसमें संबंधित बैठक में चर्चा की जाने वाली बातें शामिल होंगी और सभी आवश्यक लिखित जानकारी के साथ होगी।

5.10.2 बोर्ड केवल नोटिस के साथ भेजे गए एजेंडे में उल्लिखित कार्यों का निपटान करेगा। हालाँकि, भाविप्रा द्वारा नामांकित कम से कम 1 निदेशक की उपस्थिति और पक्ष में वोट के साथ अन्य मामलों पर भी विचार किया जा सकता है।

5.11 कोरम

5.11.1 बोर्ड की बैठकों या उसके किसी स्थगन के लिए गणपूर्ति आवश्यक रूप से एएआई द्वारा नामित कम से कम एक (1) निदेशक और कम से कम एक (1) शामिल करें निजी प्रतिभागियों में से किसी के द्वारा नामित निदेशक। बशर्ते कि वैध रूप से एएआई द्वारा नामित कम से कम एक (1) निदेशक की आवश्यकता है बोर्ड की किसी भी बैठक का गठन या उसके स्थगन के लिए आवेदन किया जाएगा जेवीसी में इसकी शेयरधारिता की परवाह किए बिना; बशर्ते कि आवश्यकता कम से कम एक (1) निदेशक नामित करने के लिए किसी भी निजी प्रतिभागियों के लिए बोर्ड की किसी भी बैठक का वैध गठन या उसके किसी भी स्थगन को वैध गठन नहीं माना जाएगा केवल तब तक लागू करें जब तक कि निजी प्रतिभागी, कुल मिलाकर, कम से कम रखें जेवीसी में 26 प्रतिशत इक्विटी शेयर।

5.11.2 यदि बोर्ड की बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित समय से आधे घंटे के भीतर, गणपूर्ति मौजूद नहीं है, उक्त बोर्ड की बैठक उसी के लिए स्थगित कर दी जाएगी अगले सप्ताह का दिन, उसी समय और स्थान पर आयोजित किया जाएगा ("स्थगित) बैठक)। यदि स्थगित बैठक में भी, एक वैध कोरम नहीं हो सकता है गठित, उपस्थित निदेशक एक वैध कोरम का गठन करेंगे।

5.12 बोर्ड की समितियां

5.12.1 यदि बोर्ड को समिति या उप-समिति का गठन करना आवश्यक लगता है, तो बोर्ड शक्तियों का निर्धारण करेगा (स्कोप, समाप्ति, संशोधन सहित) और ऐसी समिति या उप-समिति की निकासी) की। समिति या उप-समिति बोर्ड के अधीन और उसके पर्यवेक्षण के अधीन होगी। इसके विपरीत कुछ भी निहित होने के बावजूद, एएआई को अधिकार होगा गठित प्रत्येक समिति और उप-समिति में प्रत्येक पर एक नामांकित व्यक्ति नामित करें बोर्ड द्वारा।

5.13 निर्णय

5.13.1 निदेशक मंडल के प्रत्येक सदस्य को निदेशक मंडल द्वारा तय किए जाने वाले किसी भी मामले के संबंध में एक वोट डालने का अधिकार होगा।

5.13.2 निदेशक मंडल का संकल्प निदेशक मंडल की बैठक में उपस्थित निदेशकों के साधारण बहुमत के सकारात्मक मत से अपनाया जाएगा, जिसमें निदेशक मंडल का कोरम मौजूद हो। हालाँकि, जब तक एएआई, एएआई नामांकित व्यक्तियों के साथ, कुल मिलाकर, जेवीसी के इक्विटी शेयर का दस (10) प्रतिशत से कम नहीं रखता है, आरक्षित बोर्ड मामलों के संबंध में कोई भी निर्णय एएआई द्वारा नामित निदेशकों के सकारात्मक मत की आवश्यकता के लिए आवश्यक बहुमत मत से पारित माना जाएगा।

5.13.3 जेवीसी या उसके किसी निदेशक, अधिकारी, एजेंट या प्रतिनिधि को बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना किसी आरक्षित बोर्ड मामले को नहीं करना चाहिए।

5.14 परिपत्र द्वारा संकल्प

5.14.1 लागू कानून के अधीन और आरक्षित मामलों के अलावा अन्य मामलों के लिए, बोर्ड के प्रस्तावों को परिसंचरण द्वारा पारित किया जा सकता है, यदि प्रस्ताव को डॉ. एफ्ट में, यदि कोई हो, तो सभी निदेशकों को आवश्यक कागजात के साथ प्रसारित किया गया है, तो भारत में या भारत के बाहर, और निदेशकों के बहुमत द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। ऐसे संकल्प निदेशकों द्वारा एकल दस्तावेज़ या समकक्ष के रूप में हस्ताक्षरित किए जा सकते हैं।

5.15 प्राधिकारी

5.15.1 बोर्ड द्वारा अधिकृत किए बिना, कोई भी निदेशक व्यक्तिगत रूप से जेवीसी को बाध्य करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

5.16 निदेशक अयोग्यता

5.16.1 लागू कानून के अधीन, किसी निदेशक को केवल इस कारण से सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा कि वह किसी अन्य कॉर्पोरेट निकाय का अधिकारी, निदेशक या शेयरधारक है.

5.17 निरीक्षण और जानकारी

5.17.1 पक्षकारों के बीच यह सहमति व्यक्त की जाती है कि भाविप्रा को जेवीसी द्वारा रखी जाने वाली बहियों, रिकॉर्डों और खातों की जांच करने का अधिकार होगा और वह मासिक प्रबंधन खातों, परिचालन आंकड़ों तथा अन्य व्यापारिक व वित्तीय जानकारी सहित सभी जानकारी प्राप्त करने की हकदार होगी।

5.17.2 खंड 5.17.1 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, JVC, भाविप्रा को निम्नलिखित की प्रतियां प्रदान करेगी:

(क) जेवीसी के लेखापरीक्षित खाते (सभी प्रासंगिक कानूनी आवश्यकताओं का पालन करते हुए); तथा

(ख) त्येक प्रमुख प्रभाग के मासिक/त्रैमासिक प्रबंधन खाते जेवीसी; इनमें एक समेकित लाभ और हानि खाता, बैलेंस शीट और नकदी प्रवाह विवरण शामिल होंगे जो जेवीसी के प्रमुख प्रभागों के अनुसार विभाजित हैं, जिसमें संबंधित व्यवसाय योजना के खिलाफ प्रगति का विवरण, त्रैमासिक राजस्व बजट से किसी भी भिन्नता का विवरण और संबंधित वित्तीय वर्ष के शेष के लिए अद्यतन पूर्वानुमान शामिल हैं। और उस अवधि के दौरान जेवीसी के प्रत्येक प्रमुख प्रभाग द्वारा दर्ज किए गए जेवीसी के पूंजी कार्यक्रम के संबंध में सभी व्यय का ब्यौरा

खंड 6

शेयरधारकों के अधिकार और दायित्व

6.1.1 जब तक भाविप्रा (AAI नामांकित व्यक्तियों के साथ) कुल मिलाकर जेवीसी में कम से कम दस (10) प्रतिशत इक्विटी शेयर रखती है, तब तक जेवीसी **आरक्षित शेयरधारक मामलों (Reserved Shareholders Matters)** के संबंध में किसी भी निर्णय या प्रस्ताव को तब तक प्रभावी नहीं करेगी, जब तक कि उसे भाविप्रा के सकारात्मक मत (affirmative vote) द्वारा अनुमोदित न किया गया हो।

6.1.2 जेवीसी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (a) शेयरधारकों की बैठकों में प्रतिनिधियों (proxies) को वोट देने की स्पष्ट अनुमति देंगे; और (b) जेवीसी के शेयरों के संबंध में कई प्रतिनिधियों की नियुक्ति की अनुमति देंगे तथा वोटों की संख्या निर्दिष्ट करेंगे।

खंड 6क

प्रतिनिधित्व और वारंटी

6क.1 प्रत्येक निजी प्रतिभागी एतद्द्वारा भाविप्रा, जेवीसी और अन्य निजी प्रतिभागियों के लाभ के लिए वारंटी देता है और प्रतिनिधित्व करता है कि:

(i) यह कानून के तहत विधिवत रूप से संगठित और वैध रूप से विद्यमान है और इस समझौते को निष्पादित करने और इसके नियमों, शर्तों और प्रावधानों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कानूनी शक्ति और अधिकार रखता है

(ii) इस समझौते के निजी प्रतिभागी द्वारा निष्पादन और वितरण सभी अपेक्षित कॉर्पोरेट और अन्य कार्रवाई और द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया है किसी अन्य समझौते या लिखत के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करेगा या उसके तहत डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, जिसके लिए वह एक पक्ष है या जिसके द्वारा वह बाध्य हो सकता है;

(iii) यह समझौता और ऐसे सभी अन्य समझौते और लिखित दायित्व जो इसके द्वारा विचार किए गए लेनदेन के संबंध में किए गए हैं और किए गए हैं, इस समझौते के निष्पादन और वितरण के बाद ऐसे निजी प्रतिभागी के वैध और कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्वों का गठन करते हैं या करेंगे, जो लागू दिवालियापन, दिवालियापन, पुनर्गठन और लेनदारों के अधिकारों के प्रवर्तन को प्रभावित करने वाले अन्य कानूनों के प्रवर्तन के संबंध में लागू होते हैं और विशिष्ट प्रदर्शन या अन्य न्यायसंगत उपायों का आदेश देने वाली डिक्री के अनुदान के संबंध में न्यायालय के विवेकाधीन अधिकार के अधीन हैं। ;

(iv) यह दिवालिया नहीं है और इसके खिलाफ कोई दिवालियापन कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

(v) इसने लागू कानून का सभी भौतिक मामलों में पालन किया है और इस पर कोई जुर्माना या दायित्व नहीं है जो इसके दायित्वों को पूरा करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले।

(vi) इसके खिलाफ कोई भी अदालत या मध्यस्थ के समक्ष ऐसा कानूनी मामला, दावा या जांच लंबित नहीं है जो इस समझौते के तहत इसके दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करे।

6क.2 भाविप्रा एतद्द्वारा जेवीसी और निजी प्रतिभागियों के लाभ के लिए वारंटी देती है और प्रतिनिधित्व करती है कि:

(i) यह कानून के तहत विधिवत रूप से संगठित और वैध रूप से विद्यमान है और इस समझौते को निष्पादित करने और इसके नियमों, शर्तों और प्रावधानों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कानूनी शक्ति और अधिकार रखता है;

(ii) इस समझौते के एएआई द्वारा निष्पादन और वितरण को सभी अपेक्षित कॉर्पोरेट और अन्य कार्रवाई द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया है और यह किसी अन्य समझौते या लिखत के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करेगा या उसके तहत डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, जिसके लिए वह एक पक्ष है या जिसके लिए वह बाध्य हो सकता है;

(iii) यह समझौता और ऐसे सभी अन्य समझौते और लिखित दायित्व लेन-देन के संबंध में प्रविष्ट और उपक्रम किया गया जिस पर यह एक पक्ष है, एएआई के वैध और कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्वों का गठन करता है या करेगा, जो लागू दिवालियापन, दिवालियापन, पुनर्गठन और लेनदारों के अधिकारों के प्रवर्तन को प्रभावित करने वाले अन्य कानूनों के संबंध में लागू होते हैं और विशिष्ट प्रदर्शन या अन्य न्यायसंगत उपचारों का आदेश देने वाली डिक्री के अनुदान के संबंध में अदालत के विवेकाधीन अधिकार के अधीन हैं;

(iv) एएआई दिवालिया नहीं है और कोई दिवालियापन कार्यवाही शुरू नहीं की गई है, न ही इसके द्वारा या इसके खिलाफ धमकी दी गई है या लंबित है;

(v) इसने सभी भौतिक मामलों में लागू कानून का अनुपालन किया है और ऐसा नहीं किया है किसी भी जुर्माने, दंड, निषेधात्मक राहत या किसी अन्य दीवानी या आपराधिक देनदारियों के अधीन रहा है, जिसका इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की क्षमता पर समग्र रूप से कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या पड़ सकता है।

(vi) एएआई के सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार, इसके खिलाफ कानून, इक्विटी या अन्यथा में लंबित या लिखित रूप में धमकी दी गई कोई कार्रवाई, मुकदमे, दावे, कार्यवाही या जांच नहीं है, चाहे वह सिविल या आपराधिक प्रकृति की हो, किसी भी अदालत, आयोग, मध्यस्थ या सरकारी प्राधिकरण के समक्ष या उसके द्वारा, और ऐसे किसी भी न्यायालय, आयोग, मध्यस्थ या सरकारी प्राधिकरण के कोई बकाया निर्णय, डिक्री या आदेश नहीं हैं, जो इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की उसकी क्षमता को भौतिक रूप से और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं।

6क.3 इस करार के प्रत्येक पक्षकार द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि (i) इस खंड 6क में दिए गए और/या संदर्भित किए गए अभ्यावेदनों और वारंटियों के अलावा, किसी भी पक्षकार ने इस करार के प्रयोजनों के लिए कंपनी के व्यवसाय और संचालन के संबंध में उसे दिए गए किसी अन्य अभ्यावेदन या वारंटी (चाहे लिखित हो या मौखिक) या किसी वित्तीय अनुमान या पूर्वानुमान या बाजार की जानकारी पर भरोसा नहीं किया है और न ही करेगा; और (ii) इस करार के प्रयोजनों के लिए इस खंड 6क में स्पष्ट रूप से निर्धारित और/या संदर्भित किए गए अभ्यावेदनों और वारंटियों के अलावा किसी भी पक्षकार या उसके प्रतिनिधियों द्वारा या उनकी ओर से कोई अभ्यावेदन और वारंटी नहीं हैं।

खंड 7

समाप्ति

7.1 समाप्ति

7.1.1 दोनों पक्ष सहमत हैं कि यदि कोई शेयरधारक (अपने संबंधित समूह संस्थाओं के साथ और एएआई के मामले में, एएआई के नामांकित व्यक्तियों के साथ भी) जेवीसी के किसी भी इक्विटी शेयर को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धारण करना बंद कर देता है, तो यह समझौता ऐसे शेयरधारक के संबंध में स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगा। हालाँकि, यह प्रदान किया गया है कि इस समझौते के तहत ऐसे शेयरधारक के दायित्व गोपनीयता (खंड 8) और विवाद समाधान (खंड 9.4) से संबंधित और ऐसा इस समझौते के अन्य प्रावधान जो अपनी प्रकृति से जीवित रहने के लिए अभिप्रेत हैं इस समझौते की समाप्ति से पहले जीवित रहेगा।

7.2 कारण से समाप्त करने का अधिकार

(क) किसी शेयरधारक (**व्यतिक्रमी पक्ष / Defaulting Party**) द्वारा इस समझौते के किसी भी नियम या शर्त के गंभीर उल्लंघन (**Material Breach**) की स्थिति में, कोई भी गैर-व्यतिक्रमी पक्ष एक लिखित नोटिस (**उल्लंघन नोटिस / Breach Notice**) दे सकता है।

(ख) समाप्ति घटना (**Termination Event**) तब मानी जाएगी:

(i) यदि गंभीर उल्लंघन को नोटिस मिलने के 30 दिनों के भीतर (**सुधार अवधि / Cure Period**) ठीक न किया जाए;

(ii) दिवाला, समापन या दिवालियापन याचिका या की घटना में किसी शेयरधारक के खिलाफ अन्य दिवालियापन आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, या सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत एक आदेश देती है, या एक संकल्प है अन्य शेयरधारकों द्वारा लिखित रूप में पहले से अनुमोदित पुनर्गठन या पुनर्गठन के क्रम में अन्यथा उस शेयरधारक के समापन, विघटन या न्यायिक प्रबंधन या प्रशासन के लिए पारित किया गया (ऐसी मंजूरी अनुचित रूप से नहीं रोकी जानी चाहिए)। संदेह से बचने

के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि एएआई या उसके संबंध में एएआई अधिनियम के तहत जीओआई द्वारा किसी भी शक्ति का प्रयोग संपत्ति, जिसमें इसके पुनर्गठन भी शामिल है, समाप्ति की घटना नहीं होगी;

(iii) किसी शेयरधारक की संपत्ति के संबंध में किसी भी कुर्की, जब्ती, संकट, निष्पादन या अन्य कानूनी प्रक्रिया को लागू, लागू या स्थापित किया जाता है, या किसी परिसमापक, न्यायिक प्रबंधक, रिसीवर, प्रशासक, न्यासी-दिवालियापन, संरक्षक या अन्य समान अधिकारी नियुक्त किया गया है (या ऐसे अधिकारी की नियुक्ति के लिए याचिका प्रस्तुत की गई है) शेयरधारक; या

(ग) निजी प्रतिभागी की ओर से समाप्ति घटना होने पर:

(i) गैर-व्यतिक्रमी निजी प्रतिभागियों को व्यतिक्रमी निजी प्रतिभागी की पूरी शेयरधारिता आपस में तय की गई कीमत पर खरीदने का अधिकार होगा।

(ii) शेयरों का हस्तांतरण समाप्ति घटना की तारीख से 30 दिनों के भीतर (**PP चूक खरीद अवधि**) होगा।

(iii) यदि गैर-व्यतिक्रमी निजी प्रतिभागी शेयर नहीं खरीदते हैं, तो भाविप्रा को PP चूक खरीद अवधि समाप्त होने के 45 दिनों के भीतर नोटिस देकर (i) अंकित मूल्य के 50% या (ii) उचित बाजार मूल्य के 50% (जो भी कम हो) पर वे शेयर खरीदने का अधिकार होगा।

(iv) यदि 60 दिनों के भीतर शेयर नहीं खरीदे जाते हैं, तो उल्लंघन को माफ माना जाएगा और समाप्ति घटना समाप्त मानी जाएगी।

(घ) भाविप्रा द्वारा गंभीर उल्लंघन होने पर:

(i) निजी प्रतिभागियों के पास समाप्ति घटना की तारीख से 45 दिनों के भीतर (**AAI चूक खरीद अवधि**) नोटिस देकर भाविप्रा की पूरी शेयरधारिता को (i) अंकित मूल्य के 100% या (ii) उचित बाजार मूल्य के 100% (जो भी कम हो) पर खरीदने का अधिकार होगा।

(ii) यदि 60 दिनों के भीतर शेयर नहीं खरीदे जाते हैं, तो उल्लंघन को माफ माना जाएगा।

(ङ) इस खंड 7.2 के तहत शेयर खरीदने का हकदार कोई भी शेयरधारक ऐसे शेयरधारक के स्थान और बदले में उक्त शेयरों को खरीदने के लिए अपनी समूह इकाई (ओं) को नामित करने का अधिकार है। हालाँकि, (i) ऐसा हस्तांतरण किसी भी तरह से विदेशी इकाई इक्विटी कैप और/या अनुसूचित एयरलाइंस इक्विटी कैप से अधिक नहीं होता है; और (ii) समूह इकाई इस समझौते के नियमों और शर्तों से सहमत है और बाध्य होने के लिए प्रतिबद्ध है और पालन के विलेख को निष्पादित करता है।

खंड 8: गोपनीयता

8.1 दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि उनमें से प्रत्येक और उनका समूह संस्थाओं के पास ऐसी जानकारी है जो उनके और उनके समूह द्वारा बनाई गई है, खोजी गई है, विकसित की गई है, या अन्यथा ज्ञात और स्वामित्व वाली है और उनके पास रहेगी संस्थाएं, जिनके पास व्यवसाय में वाणिज्यिक मूल्य है जिसमें वे और उनके समूह संस्थाएं शामिल हैं या हो सकती हैं (उपर्युक्त जानकारी को इसके बाद "स्वामित्व वाली जानकारी" कहा जाता है)। पक्षकार, पर खुद और अपनी समूह संस्थाओं की ओर से, सहमत हैं कि इस समझौते की शर्तों के दौरान और इसके समापन या समाप्ति के बाद, उनमें से प्रत्येक को रखा जाएगा विश्वास और भरोसे में ऐसी सभी मालिकाना जानकारी, और वे और उनका समूह संस्थाएं ऐसी किसी भी मालिकाना जानकारी या उससे सीधे संबंधित किसी भी चीज़ का उपयोग या खुलासा नहीं करेंगी, जब तक कि अन्य पार्टियों की लिखित सहमति न हो।

8.2 किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति की स्थिति में, पार्टियां, ऐसे मालिकाना जानकारी के मालिक के निर्देश पर, तुरंत, उपयोग करना बंद कर देंगी, नष्ट कर देंगी या मालिक या उसके समूह संस्थाओं को वापस कर देंगी ऐसे पक्ष या उसकी समूह संस्थाओं के स्वामित्व वाली मालिकाना जानकारी से संबंधित किसी भी प्रकृति के दस्तावेज़ और डेटा, और किसी भी विवरण के किसी भी दस्तावेज़ या डेटा या किसी के पुनरुत्पादन को किसी और को नहीं रखेगा या वितरित करेगा किसी भी मालिकाना जानकारी से युक्त या संबंधित विवरण।

8.3 यह खंड निम्नलिखित जानकारी पर लागू नहीं होगा:

(क) जो बिना किसी गलती के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो गई हो;

(ख) जो प्रकटीकरण से पहले गैर-गोपनीय आधार पर ज्ञात थी;

(ग) जो स्वतंत्र रूप से विकसित की गई हो;

(घ) जो तीसरे पक्ष को बिना किसी प्रतिबंध के प्रकट की गई हो;

(ङ) जो ऋण जुटाने या संभावित खरीदारों के लिए गोपनीयता वचनबद्धता के तहत प्रकट की गई हो;

(च) जो लागू कानून या स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग की आवश्यकताओं के अनुपालन में प्रकट की गई हो;

(छ) जो पक्षकारों के कानूनी, वित्तीय या तकनीकी सलाहकारों को प्रकट की गई हो।

8.4 शेयरधारक स्वयं और अपने संबंधित समूह संस्थाओं की ओर से भी एक दूसरे और उनकी संबंधित समूह संस्थाओं और जेवीसी के साथ सहमत हैं, और जेवीसी को अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करने के लिए सहमत हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जेवीसी के व्यवसाय के संबंध में प्रकट की गई सभी जानकारी और अन्यथा आम तौर पर उपलब्ध नहीं है, गोपनीय रखी जाएगी और प्रकट नहीं की जाएगी।

खंड 9:

विविध

9.1 नोटिस

9.1.1 इस समझौते के तहत दी जाने वाली किसी भी सूचना को विधिवत दिया गया माना जाएगा प्राप्ति पर दिया गया जब लिखित रूप में और व्यक्तिगत रूप से वितरित किया गया, फैक्स प्रेषण द्वारा, टेलेक्स द्वारा या कूरियर द्वारा, निम्नानुसार संबोधित किया गया है: -

(क) **भाविप्रा / भाविप्रा नामांकित व्यक्तियों के लिए**: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली - 110003 (ध्यान दें: अध्यक्ष)।

(ख) **जेवीसी के लिए**: मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, सीएसआई एयरपोर्ट, मुंबई (ध्यान दें: श्री जी.वी. संजय रेड्डी)।

(ग) **निजी प्रतिभागियों के लिए**:

1. **जीवीके एयरपोर्ट होल्डिंग्स प्रा. लिमिटेड**: पैगाह हाउस, 156-159, सरदार पटेल रोड, सिकंदराबाद - 500003, आंध्र प्रदेश, भारत (ध्यान दें: निदेशक, श्री जी.वी. संजय रेड्डी)।
2. **बिड सर्विसेज डिवीज़न (मॉरीशस) लिमिटेड**: ले जमालैक्स, विएक्स कंसील स्ट्रीट, पोर्ट लुई, मॉरीशस (ध्यान दें: श्री रयान लिच)।
3. **एसीएसए ग्लोबल लिमिटेड**: ले जमालैक्स, विएक्स कंसील स्ट्रीट, पोर्ट लुई, मॉरीशस (ध्यान दें: श्री रोरी मैके)।

9.2 अप्रत्याशित घटनाएं

9.2.1 पक्षकारों के बीच यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि इस समझौते के तहत किसी भी पक्ष को फोर्स मज्येोर (अपरिहार्य घटना) के कारण या उसके आधार पर कोई राहत प्रदान नहीं की जाएगी।

9.3 दायित्वों का विशिष्ट निष्पादन

9.3.1 इस समझौते के पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि, के तहत अनुमत सीमा तक लागू कानून, इस समझौते के तहत पार्टियों के अधिकार और दायित्व

विशिष्ट प्रदर्शन के अधिकार के अधीन होगा और विशेष रूप से हो सकता है डिफ़ॉल्ट करने वाले पक्ष के खिलाफ लागू किया गया। दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं कि कोई भी उल्लंघन इस समझौते के प्रावधानों से तत्काल अपूरणीय क्षति होगी प्रतिकूल रूप से प्रभावित पार्टी ("प्रभावित पार्टी") जिसके लिए कोई मुआवजा क्षतिपूर्ति के रूप में देय राशि पर्याप्त उपचार नहीं होगी। तदनुसार, पार्टियां सहमत है कि प्रभावित पक्ष तत्काल और स्थायी हकदार होगा अवरोधक राहत, विशिष्ट प्रदर्शन या किसी न्यायालय से कोई अन्य न्यायसंगत राहत ऐसे किसी उल्लंघन या उल्लंघन की धमकी की स्थिति में सक्षम क्षेत्राधिकार का किसी अन्य पार्टी द्वारा। दोनों पक्ष सहमत हैं और यह निर्धारित करते हैं कि प्रभावित पक्ष इस तरह के निषेधात्मक राहत, विशिष्ट प्रदर्शन या अन्य न्यायसंगत का हकदार होगाराहत बिना (i) वास्तविक नुकसान साबित करने की आवश्यकता के; या (ii) बांड पोस्ट करना या अन्य सुरक्षा। यहाँ निहित कोई भी चीज़ प्रभावित पक्ष को सीमित नहीं करेगी

9.4 शासी कानून और मध्यस्थता

9.4.1 इस समझौते और इसकी व्याख्या के सभी प्रश्नों का अर्थ भारत गणराज्य के कानूनों के अनुसार लगाया जाएगा।

9.4.2 दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि वे सद्भावना से समाधान करने का प्रयास करेंगे परामर्श, इस समझौते के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवाद, और ऐसा परामर्श तब शुरू होगा जब एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को एक दिया है ऐसी परामर्श के लिए लिखित अनुरोध। बशर्ते कि यदि ऐसे सद्भावना परामर्श के परिणामस्वरूप साठ (60) दिनों के भीतर विवाद का समाधान नहीं हुआ है इस तरह के परामर्श शुरू होने के बाद, खंड 9.4.3 के प्रावधान लागू होंगे।

9.4.3 मध्यस्थता (Arbitration):

9.4.3.1 जो विवाद आपसी सहमति से नहीं सुलझ सकते, उन्हें **भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996** के अनुसार मध्यस्थता द्वारा अंतिम रूप से निपटाया जाएगा।

9.4.3.2 विवाद को तीन (3) मध्यस्थों के ट्रिब्यूनल को संदर्भित किया जाएगा। दावेदार और उत्तरदाता एक-एक मध्यस्थ नियुक्त करेंगे, और दो नियुक्त मध्यस्थ तीसरे मुख्य मध्यस्थ का चयन करेंगे। यदि वे विफल रहते हैं, तो मध्यस्थों की नियुक्ति **दिल्ली उच्च न्यायालय** द्वारा की जाएगी।

9.4.3.3 मध्यस्थता **नई दिल्ली, भारत** में आयोजित की जाएगी और सभी कार्यवाहियां **अंग्रेजी भाषा** में होंगी।

9.4.3.4 मध्यस्थता ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

9.4.3.5 दिल्ली के न्यायालयों का इस समझौते पर क्षेत्राधिकार होगा।

9.5 संपूर्ण समझौता

9.5.1 यह समझौता, अपनी सभी अनुसूचियों और अनुलग्नकों के साथ, पक्षकारों के बीच संपूर्ण समझौते का प्रतिनिधित्व करता है और किसी भी पूर्व मौखिक या लिखित समझौते को प्रतिस्थापित करता है।

9.6 संशोधन

9.6.1 इस समझौते में कोई भी संशोधन केवल तभी प्रभावी होगा जब वह लिखित रूप में हो और प्रत्येक पक्ष के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित हो।

9.7 पृथक्करणीयता

9.7.1 यदि इस करार या इससे संलग्न किसी करार या दस्तावेज या इसके किसी भाग का कोई अनुच्छेद, खंड, धारा या पैराग्राफ, या उसका कोई भाग अमान्य है, किसी भी सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत द्वारा अवैध घोषित किया गया, या वर्तमान या भविष्य के लागू कानूनों के तहत अप्रवर्तनीय, तो पार्टियों का इरादा है कि समझौते का शेष, या यहां संलग्न कोई समझौता या दस्तावेज़ या इसका एक हिस्सा बनाया गया है, इससे प्रभावित नहीं होगा जब तक कि ऐसा विलोपन न हो प्रावधान इस समझौते को किसी भी पक्ष के लिए भौतिक रूप से प्रतिकूल बना देगा जिस मामले में पक्षकार सद्भावनापूर्वक समझौते में ऐसे परिवर्तनों पर बातचीत करेंगे जो पक्षकारों के लिए ऐसे प्रावधान के तहत लाभ और दायित्वों को सर्वोत्तम रूप से संरक्षित करेंगे।

9.8 प्रतिरूप

9.8.1 यह समझौता दो या दो से अधिक समकक्षों में निष्पादित किया जा सकता है, और प्रत्येक पार्टी द्वारा एक ही या अलग-अलग समकक्षों पर, लेकिन ऐसे सभी समकक्ष एक साथ होंगे एक और समान साधन का गठन करें।

9.9 छूट

9.9.1 इस करार के किसी उल्लंघन के संबंध में किसी पक्ष द्वारा कोई कार्रवाई करने में विफलता या किसी अन्य पक्ष द्वारा चूक इस करार के किसी प्रावधान को लागू करने या ऐसे उल्लंघन या चूक या किसी बाद के उल्लंघन या चूक के संबंध में कार्रवाई करने के पूर्व पक्ष के अधिकार का त्याग नहीं होगा। किसी पक्ष द्वारा इस करार के किसी प्रावधान का पालन करने में किसी भी उल्लंघन या विफलता का किसी पक्ष द्वारा त्याग, ऐसे प्रावधान का निरंतर त्याग के रूप में नहीं माना जाएगा, या ऐसे त्याग का गठन नहीं करेगा, या इस करार के किसी अन्य प्रावधान के किसी अन्य उल्लंघन या अनुपालन में विफलता का त्याग नहीं करेगा।

9.10 कोई एजेंसी नहीं

9.10.1 यह समझौता किसी भी पक्ष को कानूनी प्रतिनिधि या एजेंट के रूप में नहीं बनाएगा किसी अन्य पार्टी का, न ही किसी पार्टी को, ग्रहण करने, बनाने का अधिकार या अधिकार होगा या किसी दायित्व या दायित्व, व्यक्त या निहित, के खिलाफ, के नाम पर, या किसी अन्य पार्टी की ओर से।

9.11 कोई तृतीय पक्ष लाभार्थी नहीं

9.11.1 इस समझौते में कुछ भी पक्षकारों (और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों) के अलावा किसी भी अन्य संस्था को कोई कानूनी अधिकार या दावा देने के लिए लक्षित नहीं है।

9.12 एक-दूसरे और जेवीसी के संबंध में पक्षकारों की स्वतंत्रता

9.12.1 पक्षकार स्वतंत्र हैं और बने रहेंगे। किसी भी पक्षकार या उसकी समूह संस्था (Group Entity) को दूसरे का एजेंट नहीं माना जाएगा, और न ही उनके पास एक-दूसरे या जेवीसी की ओर से कोई अनुबंध करने, दायित्व उठाने या वारंटी व प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा।

9.13 निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी शर्तें

9.13.1 प्रत्येक पक्षकार और/या उसकी संबंधित समूह संस्था तथा जेवीसी के बीच सभी संबंध निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी शर्तों (*arms length and on competitive terms*) पर संचालित किए जाएंगे।

9.14 व्यय

9.14.1 प्रत्येक पक्षकार इस समझौते की बातचीत, तैयारी, निष्पादन और वितरण से संबंधित अपने-अपने वकीलों, लेखाकारों, विशेषज्ञों की फीस और अन्य लागतों व खर्चों का वहन स्वयं करेगा।

9.15 भाविप्रा प्रवर्तक नहीं

शेयरधारकों के लाभ और इस समझौते तथा ओएमडीए के संचालन को गति देने के लिए, भाविप्रा ने कंपनी रजिस्ट्रार के पास "**मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड**" नाम ब्लॉक कराया है और जेवीसी के बुनियादी ढांचे का पंजीकरण कराया है। पक्षकार एतद्द्वारा स्पष्ट रूप से सहमत होते हैं और स्वीकार करते हैं कि भाविप्रा के केवल इस कार्य या उसकी शेयरधारिता के कारण, भाविप्रा या उसके किसी भी नामांकित व्यक्ति को किसी भी समय या कारण से जेवीसी का प्रवर्तक (Promoter) नहीं माना जाएगा। यदि लागू कानून के तहत भाविप्रा और/या उसके नामांकित व्यक्तियों को जेवीसी का प्रवर्तक मान लिया जाता है, जिससे उन्हें कोई नुकसान, खर्च, लागत या दायित्व

होता है, तो निजी प्रतिभागी भाविप्रा और/या उसके नामांकित व्यक्तियों को क्षतिरहित रखेंगे और उन्हें इसका पूरा मुआवजा (indemnify) देंगे।

9.15.1 भार/बंधक

9.15.1 इस समझौते में किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, पक्षकारों के बीच यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि निजी प्रतिभागियों को ओएमडीए के प्रावधानों के अनुसार जेवीसी के उपयोग के लिए ऋण (Debt) जुटाने हेतु ऋणदाताओं (Lenders) के पक्ष में जेवीसी में अपनी शेयरधारिता को भारित/बंधक (Encumber) करने का अधिकार (लेकिन बाध्यता नहीं) होगा।

9.16 परिणामी हानि

9.16.1 इस समझौते में किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, कोई भी पक्षकार, उसके अधिकारी, कर्मचारी या एजेंट किसी भी परिणामी हानि (Consequential Loss) के लिए दूसरे पक्षकार के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। प्रत्येक पक्षकार ऐसी परिणामी हानि के संबंध में दूसरे पक्षकार पर मुकदमा न चलाने का वचन देता है।

परिणामी हानि का अर्थ: अनुबंध के उल्लंघन से होने वाला कोई भी अप्रत्यक्ष या परिणामी नुकसान (जैसे लाभ की हानि, राजस्व की हानि, अनुबंध या साख की हानि, या तीसरे पक्ष के प्रति दायित्व)। हालाँकि, इसमें किसी पक्षकार की लापरवाही के कारण हुई मृत्यु या व्यक्तिगत चोट शामिल नहीं है।

हस्ताक्षरकर्ता

जिसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने उपर्युक्त तिथि को अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं:

- **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airports Authority of India) की ओर से**
- **मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लिमिटेड की ओर से**
- **जीवीके एयरपोर्ट होल्डिंग्स प्रा. लिमिटेड की ओर से**
- **बिड सर्विसेज डिवीज़न (मॉरीशस) लिमिटेड की ओर से**
- **एसीएसए ग्लोबल लिमिटेड की ओर से**

अनुसूची 1

निजी प्रतिभागी

1. जीवीके एयरपोर्ट होल्डिंग्स प्रा. लिमिटेड
2. बिड सर्विसेज डिवीज़न (मॉरीशस) लिमिटेड
3. एसीएसए ग्लोबल लिमिटेड

अनुसूची 2:

इक्विटी शेयरों का उचित बाजार मूल्य (FMV) निकालने के व्यापक सिद्धांत

यदि इक्विटी शेयरों के उचित बाजार मूल्य (Fair Market Value - FMV) का निर्धारण करने की आवश्यकता होती है, तो निम्नलिखित प्रक्रियाएं लागू होंगी:

1. **सूचीबद्ध कंपनी (Listed Company) होने पर:** यदि जेवीसी उस समय एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है, तो उचित बाजार मूल्य पिछले बारह (12) हफ्तों के दौरान शेयरों के दैनिक व्यापार मूल्य का भारित औसत (weighted average) होगा।
2. **गैर-सूचीबद्ध कंपनी (Unlisted Company) होने पर:**

   (i) अंतरराष्ट्रीय ख्याति की एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म (**"मूल्यांकनकर्ता" / Valuer**) द्वारा इच्छुक विक्रेता और इच्छुक खरीदार के बीच सौदे के आधार पर और भारतीय GAAP के अनुसार मूल्य तय किया जाएगा।

   विशेष शर्त: यदि भाविप्रा व्यतिक्रमी पक्ष (Defaulting Party) **नहीं** है, तो मूल्यांकनकर्ता:

   - (क) लीज डीड के तहत जेवीसी को दी गई भूमि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई मूल्य नहीं देगा।
   - (ख) जेवीसी को दी गई राज्य सहायता (state support) के मूल्य को शामिल नहीं करेगा।
   - *यदि भाविप्रा व्यतिक्रमी पक्ष है, तो मूल्यांकनकर्ता इन मूल्यों को शामिल करेगा।*

   (ii) अनुरोध प्राप्त होने पर, बोर्ड मूल्यांकनकर्ता का चयन करेगा और उसे मूल्य निर्धारित करने का निर्देश देगा।

   (iii) जेवीसी नियुक्ति के 7 दिनों के भीतर मूल्यांकनकर्ता को आवश्यक जानकारी प्रदान करेगी।

   (iv) मूल्यांकनकर्ता इसके 20 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट बोर्ड को सौंपेगा।

   (v) मूल्यांकन की लागत (फीस) क्रेता और/या विक्रेता द्वारा वहन की जाएगी जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जाए।

अनुसूची 3

आरक्षित बोर्ड मामले

(इन मामलों पर निर्णय के लिए भाविप्रा के नामांकित निदेशक का सकारात्मक वोट अनिवार्य है)

1. JVC के व्यवसाय में कोई भी परिवर्तन (किसी भी प्रकार के व्यवसाय को बंद करने सहित)।
2. शेयरों के किसी भी वर्ग या श्रेणियों के अधिकारों में बदलाव (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष)।
3. इसके पूरे या महत्वपूर्ण हिस्से के व्यवसाय, उपक्रम या परिसंपत्तियों की बिक्री, हस्तांतरण, पट्टा (lease), लाइसेंस या निपटान (बशर्ते कि 12 महीने की अवधि में इसका मूल्य जेवीसी की शुद्ध अचल संपत्तियों के 10% से अधिक हो)।
4. JVC को समेटने (winding up) या बंद करने की प्रक्रिया शुरू करना।

अनुसूची 4

आरक्षित शेयरधारक मामले

(इन मामलों पर निर्णय के लिए भाविप्रा का सकारात्मक वोट अनिवार्य है)

1. JVC के व्यवसाय में कोई भी परिवर्तन (किसी भी प्रकार के व्यवसाय को बंद करने सहित)।
2. शेयरों के किसी भी वर्ग के अधिकारों में परिवर्तन।
3. व्यवसाय या परिसंपत्तियों की बिक्री, हस्तांतरण, पट्टा या निपटान (यदि 12 महीनों में मूल्य जेवीसी की शुद्ध अचल संपत्तियों के 10% से अधिक हो)।
4. JVC को समाप्त करने या विघटित करने की कार्रवाई शुरू करना।
5. कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कम से कम तीन-चौथाई (75%) शेयरधारकों की सहमति की आवश्यकता वाला कोई भी शेयरधारक प्रस्ताव (विशेष प्रस्ताव)।

अनुलग्नक 1

अनुपालन का विलेख

यह **अनुपालन का विलेख ("Deed")** [तिथि] को [अंतरिती कंपनी का नाम और विवरण], [देश] के कानूनों के तहत निगमित कंपनी (**"अंतरिती / Transferee"**) द्वारा निष्पादित किया जाता है:

चूंकि :

- **क**. AAI, [निजी प्रतिभागियों के नाम] और जेवीसी के बीच [तिथि], 2006 के **शेयरधारक समझौते** के तहत शेयरधारकों ने जेवीसी के शेयरधारकों के रूप में अपने अधिकारों और देनदारियों के नियमन पर सहमति व्यक्त की है।
- **ख**. शेयरधारक समझौते के अनुभाग 3.6.1 (b) के अनुसार किसी भी शेयरधारक द्वारा तीसरे पक्ष को शेयर हस्तांतरित करने की पूर्व-शर्त यह है कि वह तीसरा पक्ष इस विलेख को निष्पादित करे और शेयरधारक समझौते से बाध्य हो।

अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्ष्य देता है:

1. **परिभाषाएं और व्याख्या**: इस विलेख में उपयोग किए गए शब्दों का वही अर्थ होगा जो शेयरधारक समझौते में दिया गया है।
2. **वचनबद्धता**:

   2.1अंतरिती (Transferee) स्वीकार करता है कि उसे शेयरधारक समझौते की एक प्रति प्राप्त हुई है और उसने इसे पढ़ और समझ लिया है। वह पुष्टि करता है कि वह शेयरधारक समझौते के सभी प्रावधानों से उसी तरह बाध्य होगा मानो वह इसका मूल पक्षकार हो।

3. **शासी कानून** : यह विलेख भारत के कानूनों द्वारा शासित और व्याख्यायित होगा। मध्यस्थता और अन्य शर्तों से संबंधित शेयरधारक समझौते के नियम इस विलेख में शामिल माने जाएंगे।

द्वारा हस्ताक्षरित:

नाम:

पद:

गवाह: